ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 87-89

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

कार्यशील महिलाओं की कार्य दशाएँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

अन्वेषिका कविता कुमारी

समाजशास्त्र विभाग– पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) भारत

Received-12.10.2022, Revised-17.10.2022, Accepted-22.10.2022 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः– ***कार्यरत महिलाओं की अवधारणा कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिला के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात् वे महिलाएं जो घरों के बाहर नियमित रूप से आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। कार्यरत महिलाएं शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वेतन वाले काम–धन्धों में लगी हैं।***

काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, वरन् दूसरे व्यक्तियों से काम लेना तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन आदि देना भी सम्मिलित है।

कुंजीभूत शब्द– कामकाजी, आर्थिक, व्यावसायिक, निगरानी, कल्याणकारी, मानसिक श्रम, उत्पादन, मनोरंजनालय, उत्पादन।

काम करने वाली वे महिलाएं हैं, जिनके शारीरिक या मानसिक श्रम से कोई आर्थिक रूप का उत्पादन कार्य सम्पन्न हो–

अध्ययन का क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए पटना शहर का चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कार्यशील महिलाओं की कार्य दशाओं को स्पष्ट करना है।

निदर्शन– प्रस्तुत अध्ययन के लिए पटना शहर के 200 कार्यशील महिलओं का चयन किया गया है।

कार्य दशाएं– कार्य करने की दशाओं के अन्तर्गत उन विविध बातों का समावेश किया जाता है, जिनमें एक कार्यरत महिला को कार्य करना पड़ता है। साधारणतया कार्य स्थल के भीतर व बाहर की स्वच्छता, उचित तापमान, वायु तथा रोशनी का प्रबन्ध, सुरक्षा का प्रबन्ध, कैण्टीन, टॉयलेट, मनोरंजनालय, शिशु सदन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था, काम करने के उचित घण्टें, उचित पाली (शिट प्रणाली) आदि बातें कार्य दशाओं के क्षेत्र में सम्मिलित की जा सकती हैं।

कार्य संस्थान (जहां कार्यरत महिलाएं नौकरी करती हैं)

कार्यरत महिलाओं में से 50 प्रतिशत महिलाएं शिक्षण कार्य में हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नौकरी कर रही हैं, जबकि 20 प्रतिशत महिलाएं सरकारी तथा अर्ध–सरकारी, सार्वजनिक कार्यालयों तथा संस्थाओं में कार्यरत हैं, 4 प्रतिशत महिलाएं अपने स्वतन्त्र पेशे, व्यवसाय में लगी हुई थीं, जिनमें डॉक्टर, वकील हैं, शेष महिलाएं व्यक्तिगत संस्थानों में कार्य कर रहीं थीं।

नौकरी की प्रकृति– 75 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी में स्थायी रूप से कार्य कर रही है तथा 25 प्रतिशत की नौकरी अस्थायी है।

कार्यस्थल की दूरी तथा आने जाने के साधन– एक कार्यरत महिला के लिए घर से कार्यस्थल की दूरी, उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और उसकी सफल व्यावसायिक भूमिका को भी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक कार्यरत महिला को अपने घर की देखरेख भी करनी पड़ती है, जिसके लिए काफी समय की आवश्यकता होती है, इसलिए घर और उसके नौकरी/व्यवसाय के कार्य स्थल के बीच की दूरी कार्यरत महिला के लिए महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी कार्यरत महिला का कार्यस्थल घर के नजदीक है, तो वह अपने पारिवारिक दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकती है, उनकी तुलना में जो 15–20 किलोमीटर सफर करके अपने काम पर पहुँचती हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आने–जाने में काफी शक्ति (ऊर्जा) एवं समय नष्ट होता है। अतः कार्य स्थल की निकटता को ज्यादा पसन्द किया जाता है।

कार्यरत महिलाओं के लिए आवागमन के तरीकें भी समस्या उत्पन्न करते हैं। तीव्रगति से बढ़ रही जनसंख्या और कार्यभार के कारण आवागमन के साधनों की कमी पाई जाती है, उन्हें बस, टैम्पों, ट्रैक्टर, तांगे आदि का इन्तजार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपनी छोटी आय से इसका खर्चा निकालना पड़ता है।

50 प्रतिशत महिलाओं का कार्य स्थल घर के नजदीक था या फिर एक किलोमीटर के अन्दर था। एक–चौथाई उत्तरदाताओं का कार्यस्थल एक से चार किलोमीटर के अन्दर था तथा शेष को 15 से 20 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता था। अतः यह स्पष्ट है कि बहुत–सी महिलाओं का कार्य स्थल बहुत नजदीक था।

कार्यरत महिलाओं द्वारा प्रयुक्त आवागमन के साधनों को मद्देनज़र रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन महिलाओं को एक किलोमीटर से कम दूरी तय करनी होती थी, वहां वे या तो पैदल जाना पसन्द करती थीं या फिर रिक्शें का सहारा लेती थीं। साईकिल मात्र कुछ ही उत्तरदाताओं के पास होती थी, जबकि अन्य उत्तरदाता बस, तांगा, टैम्पों तथा

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

ट्रैक्टर आदि से सफर करती थीं।

इस प्रकार कार्यरत महिला के लिए आवागमन एक समस्या है। वे सामानयतः सामाजिक निषेध के कारण साईकिल प्रयोग नहीं कर सकतीं। रिक्शा और अन्य साधन काफी खर्चीलें पड़ते हैं। बस ही उनके लिए कम खर्चीला साधन है। इस प्रकार कार्यरत महिलाओं का बहुत–सा पैसा उनके घर से कार्यस्थल तक आने में खर्च हो जाता है।

काम के घंटें 10 प्रतिशत महिलाएँ चार घंटें, 75 प्रतिशत महिलाएँ ऑठ घंटें तथा 15 प्रतिशत महिलाएँ ऑठ घंटें से अधिक कार्य कर रही है। कार्य से संतुष्टि 66.7 प्रतिशत महिलाएँ अपने कार्य से संतुष्ट हैं। 23.3 प्रतिशत महिलाएँ संतुष्ट नहीं हैं तथा 10 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर नहीं दिया।

कार्यरत महिलाओं के लिए कार्य सुविधाएं– यह सर्वमान्य है कि नौकरी का लक्ष्य–पूरी तरह से सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा उनके क्षेत्र पर निर्भर करता है, जो कि श्रमिक वर्ग को प्रदान की जाती हैं। कार्यरत महिलाओं के सन्दर्भ में जिनकी कुछ निश्चित समस्याएँ जैसे, गर्भावस्था, मातृत्व एवं बच्चों की देखभाल करना है, ऐसी सुविधाओं की बहुत उपयोगिता है। उनकी नौकरी में सफलतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने में न केवल मानवना के नाते, बल्कि विशुद्ध धन्धें की .ष्टि से यह स्वीकार किया जाता है कि कार्यरत महिलाओं को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती चाहिए, ताकि वे अपने परिवार, बच्चें तथा स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित न रहें और वे अपना अधिक समय तथा ऊर्जा अपने कार्य निष्पादन में लगा सकें। इन सुविधाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं–

(अ) कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं। (ब) कार्य स्थल के बाहर सामान्य सुविधाएं।

कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं–

1. जलपान सुविधा, 2. चिकित्सा सुविधा, 3. बच्चों की देखरेख की सुविधा, 4. मनोरंजन सुविधा, 5. हवा, रोशनी आदि की सुविधा, 6. अन्य कल्याणकारी सुविधाएं

उपरोक्त सुविधाओं के बारे में कार्यरत महिलओं का यह कहना था कि अधिकांश कार्य संस्थानों में या कार्य स्थल पर जलपान की सुविधा के रूप में कैंटीन अथवा चाय की दुकान सुलभ है, जिनसे कि हम पैसे देकर चाय, नाश्ता आदि मंगा लेते हैं। कभी–कभी अधिकारियों द्वारा मीटिंग आदि करने पर सभी को चाय, नाश्ता मिल जाता है। हम भी समय–समय पर फण्ड इकट्ठा करके, (धन संग्रह करके) इस सुविधा का उपयोग कर लेते हैं। कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि हम रोज–रोज तो नाश्ता कर नहीं सकते, अतः घर से ही लन्च बॉक्स लेकर आते हैं, तथा साथ बैठ कर खा–पी लेते हैं।

जहाँ तक चिकित्सा सुविधा का सवाल है। फर्स्ट एड के नाम पर थोड़ी बहुत दवाएं आदि उपलब्ध हैं, जो जरूरत के समय सुलभ कराई जाती हैं। कार्य संस्थानों में डिस्पेन्सरी आदि की सुविधा एटा जिले में कहीं–कहीं प्राप्त नहीं है और न ही कोई चिकित्सा फण्ड होता है, जिसका कि उपयोग रोगी कार्यरत महिला कर सके।

बच्चों की देख–रेख की सुविधा–नौकरी के दौरान कार्यस्थल पर एटा जिले की अधिकांश कार्यरत महिला को उपलब्ध नहीं है। कुछ महिलाएं हाल ही के उत्पन्न दूध पीते बच्चों को कार्यस्थल पर साथ लाती हुई देखी गई हैं जहाँ पर मातहत कर्मचारियों द्वारा बच्चों की देख–रेख की जाती है। मनोरंजन की सुविधा के बारे में महिलाओं का कहना था कि जहाँ वे कार्य करती हैं वहां पर टी.वी., रेडियो आदि उपकरणों की व्यवस्था है, जिन्हें खाली समय अथवा लन्च के समय देखा या सुना जा सकता है। इण्डोर गेम्स की भी सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग भी हम सभी खाली समय में कर लेते हैं।

हवा, रोशनी आदि सुविधा के बारे में अधिकांश महिलाओं ने बताया कि जिन कार्य संस्थानों की पुरानी इमारतें है, वहाँ हवा, रोशनी का अभाव पाया जाता है, जबकि नई इमारतों में हवा, रोशनी आदि की अच्छी खासी सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में पंखें, कूलर आदि की सुविधा तथा शरद ऋतु में अंगीठी, हीटर आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। अन्य कल्याणकरी सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर महिलाओं का यह कहना है कि हर विभाग या कार्य संस्थाओं में अलग–अलग तरह की सुविधाएं हैं, जिससे सबकों यह सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

उपरोक्त सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या इन सुविधाओं से आप पूर्णतया सन्तुष्ट/सन्तुष्टतटस्थ/असन्तुष्ट/पूर्णतया असन्तुष्ट हैं?

33.3 प्रतिशत महिलाएं कार्य स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं से पूर्णतया संतुष्ट हैं। 41.7 प्रतिशत महिलाएं संतुष्ट हैं। 8.3 प्रतिशत महिलाएं तटस्थ, 10 प्रतिशत महिलाएं असंतुष्ट तथा 6.7 प्रतिशत महिलाएं पूर्णतया असंतुष्ट हैं।

इन महिलाओं से जब इसके कारण जानने चाहे, तो उन्होंने बताया कि–

1. सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए धनराशि उच्च अधिकारियों द्वारा हड़प ली जाती है, जिनके बारे में किसी को खबर नहीं लग पाती।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार से आए प्रपत्र जो हम कर्मचारियों के किसी न किसी हित के लिए होते हैं, हमें नहीं दिखाए जाते और न ही कोई जानकारी दी जाती है। समय भी निकल जाता है, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए।
3. यदि हम इन सुविधाओं के बारे में अपने अधिकारियों से बात करते हैं, तो उन्हें यह अनुभव होता कि आप हमारा व व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं तथा उन पर कार्यवाही करने की चेतावनी देते हैं। आखिर हमें अपना मुंह बन्द रखना पड़ता है, क्योंकि हम स्त्री हैं। दूसरे अन्य महिलाएं हमारा साथ देने को तैयार नहीं होती।
4. हमें जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसी पर सन्तोष कर लेते हैं।
5. अधिकारी/बॉस अपने चमचों को ही इन सुविधाओं का लाभ दिला देते हैं, अन्य उस लाभ से वंचित रह जाती हैं।

उपरोक्त कारणों का पता लगा लेने के पश्चात कार्यरत महिलाओं से यह भी पूछा गया कि कार्यस्थल के बाहर सामान्य रूप से आपको कौन–कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार रही–

जलपान सम्बन्धी सुविधा के बारे में प्राईमरी व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापिकाओं, समाज सेविकाओं तथा जो महिलाएं गांव में नौकरी पर जाती हैं, उनका कहना है कि वे जहां नौकरी पर जाती हैं, उसके आस–पास अथवा बहुत दूर तक कोई खाने–पीने की चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, जबकि तहसील, ब्लॉक व नगर स्तर पर यह सुविधा मिल जाती है।

यातायात सम्बन्धी सुविधा सके बारे में अधिकांश कार्यरत महिलाओं, अध्यापिकाओं का कहना था कि उन्हें अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए बसों का सहारा लेना पड़ता है, जो खटारा गाडिघ्यां होती हैं, उनमें लोगों को ठूंस–ठूंस कर भरा जाता है। साँस लेते तक की जगह नहीं होती। महिलाओं को अक्सर बस वाले, यात्री आदि फब्तियाँ भी कसते रहते हैं। धक्का–मुक्की की इस रेल–पेल में उन्हें सफर करना पड़ता है। जब नगर, तहसील व कस्बे में काम करने वाली महिलाएं रिक्शा, कार, स्कूटर आदि साधनों का इस्तेमाल करती देखी गई हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं को कार्य–स्थल के बाहर प्राइवेट व रोडवेज की बसों के अलावा यातायात की सुविधा विभागीय स्तर पर नहीं है। केवल सरकारी डॉक्टर, नर्स तथा महिला–पुलिस को अवश्य विभागीय गाड़ियां उपलब्ध हो जाती हैं, वह भी हर समय नहीं। यातायात भत्ता भी केवल कार्यस्थल पर जाने के लिए सरकारी कार्य से ही मिलता है।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा व भत्ता केवल सरकारी/अर्ध–सरकारी व सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को ही मिलता है। शिक्षा सम्बन्धी सुविधा भी कार्यरत महिलओं को विभागीय स्तर पर प्रमोशन पाने के लिए मिलती है। यह लाभ भी सरकारी कार्यरत महिलाओं तथा अध्यापिकाओं को सुलभ है। बच्चों की शिक्षा जो राज्य सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक मुत कर दी गई है, उसका लाभ कार्यरत महिलाओं के बच्चों को भी मिलता है।

आवास सम्बन्धी सुविधा हर कार्यरत महिला को किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। जहाँ सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हैं, या अन्य आवासीय सुविधा है, वहाँ उनको यह लाभ दिया जाता है। वैसे एटा जिले में सरकारी डॉक्टर को छोड़ कर अन्य कार्यरत महिलाओं को क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें केवल भत्तें के रूप में धनराशि दी जाती है, जो कि नाममात्र की ही है। महिला पुलिस की कुछ महिलाओं को पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा प्राप्त है, जबकि अधिकांश महिलाओं को किराए के या निजी मकानों में ही रहना पड़ता है।

मनोरंजन सम्बन्धी सुविधा के बारे में अधिकांश कार्यरत महिलाओं का कहना था कि वे नौकरी के बाद अपने घर जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच ही मनोरंजन कर लेती हैं। टी०वी० रेडियो आदि देख कर या सुनकर ही मनोरंजन हो जाता है या कभी–कभी पिकनिक का कार्यक्रम बना लेते हैं, उससे भी मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के बीच हंस–बोल लेते हैं। कभी–कभी पिक्चर का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमारा तो बस यही मनोरंजन है।

आर्थिक सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर नौकरी में लगी महिलाओं ने बताया कि उन्हें जरूरत पड़ने पर फण्ड से ऋण लेने की सुविधा प्राप्त है, लेकिन यह सुविधा केवल स्थायी रूप से नौकरी में लगी महिलाओं को ही उपलब्ध है। अस्पतालों में कार्यरत को अलग से भी आर्थिक सुविधा प्राप्त हो जाती है। अध्यापिकाएं अपने घर पर बच्चों की ट्यूशन करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेती हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल व उसके बाहर उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त हैं। कागजों पर तो यह लाभ देखे जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कार्यरत महिलाओं को यह सभी लाभ नहीं मिल पाते हैं, जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इनसे कहीं अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एटा जिला सबसे पिछड़ा हुआ तथा अविकसित क्षेत्र है, इसीलिए सरकार द्वारा दिए गए लाभ इस क्षेत्र को मिल नहीं पाते हैं। कार्यरत महिलाओं की कार्यक्षमता व स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है।

*****